न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/158
मुकदमा नम्बर 53/2024

दर्ज दिनांक– 24.04.2024

रामकिशोर पुत्र सायरमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम चेनगढ, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री प्रदीप झाझडिया, श्री किशोर कुमार जांगिड
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 24.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम चैनगढ पटवार हल्का मोहनवाडी तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी खसरा नं. 287 रकबा 2.66 है0, खसरा नं. 278 रकबा 3.07 है0 एंव ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाडी में आराजी खसरा नं. 9 रकबा 5.04 है0 के राजस्व अभिलेख में रामस्वरूप पुत्र सायर के स्थान पर रामकिशोर पुत्र सायरमल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट 2210 दिनांक 27/06/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चैनगढ पटवार हल्का मोहनवाडी तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी खसरा नं. 287 रकबा 2.66 है0, खसरा नं. 278 रकबा 3.07 है0 एंव ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाडी में आराजी खसरा नं. 9 रकबा 5.04 है0 के राजस्व अभिलेख में रामस्वरूप पुत्र सायर के स्थान पर रामकिशोर पुत्र सायरमल दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

Scanned with CamScanner